सीएसआईआर - केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान
गीजूभाई बधेका मार्ग, भावनगर - 364 002 (गुजरात)

CSIR – CENTRAL SALT & MARINE CHEMICALS RESEARCH INSTITUTE

GIJUBHAI BADHEKA MARG, BHAVNAGAR – 364 002 (GUJARAT)

(www.csmcri.res.in)

विज्ञापन क्रमांक 4/2019/ADVERTISEMENT NO. 4/2019

मेघावी व परिणामोन्मुख भारतीय नागरिकों के लिए अवसर/ OPPORTUNITIES FOR BRIGHT & RESULT ORIENTED INDIAN NATIONALS

सीएसआईआर-केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली की एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला है। संस्थान रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का संचालन करता है। संस्थान के पास परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों, आधुनिक प्रयोगशालाओं, पायलट संयंत्रों, पुस्तकालय, लोकल एरिया नेटवर्क और कार्यशाला के रूप में उत्कृष्ट आधारभूत संरचना है।

CSIR - Central Salt & Marine Chemicals Research Institute is a premier national laboratory under Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), New Delhi. The Institute undertakes a wide range of basic and applied R&D projects spanning the areas of chemistry, biology and engineering. The Institute has excellent infrastructure by way of sophisticated analytical instruments, modern laboratories, pilot plants, library, local area network and workshop.

मेघावी व परिणामोन्मुख भारतीय नागरिकों से निम्न विवरणानुसार एक पद हेतु नियत प्रारूप में आवेदनपत्र आमंत्रित किये जाते हैं:

Applications are invited in the prescribed form from talented and result-oriented Indian Nationals for 1 post, as per the following details:

पदनाम/**Designation**	पदों की संख्या/ **No. of Posts**	वेतन मेट्रिक्स में लेवल/ **LEVEL in PAY MATRIX**	*कुल परिलब्धियां ***Total emoluments**	**अधिकतम आयु सीमा (आवेदनपत्र भेजने की अंतिम तिथि को) ****Upper age Limit not exceeding (as on last date of receipt of applications)**
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक **Junior Hindi Translator**	एक (अनारक्षित) 01 (one) [Unreserved]	लेवल 6 Level 6	₹ 47328/-	30 वर्ष 30 Years

* कुल परिलब्धियों का अर्थ है कि “वाई” क्लास शहरों में मकान किराया भत्ता सहित वेतन मेट्रिक्स के अनुरूप लेवल की न्यूनतम राशि पर कुल परिलब्धियां।
** नियमानुसार छूट दी जाएगी।
* Total emoluments mean approximate total emoluments on minimum of the corresponding level in the Pay Matrix including HRA in Class ‘Y’ Cities.
** Relaxable as per rules.

<u>उपयोग किए गए संक्षिप्त पद्यांश</u>: UR: अनारक्षित, SC: अनुसूचित जाति, ST: अनुसूचित जनजाति, OBC: अन्य पिछड़े वर्ग, PwD: शारीरिक विकलांग
<u>Abbreviations used</u>: UR: Un-reserved; SC: Scheduled Caste; ST: Scheduled Tribe; OBC: Other Backward classes; PwD: Persons with Disabilities

आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव व कार्य निष्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

पद क्रमांक	पदनाम	आरक्षण के साथ पदों की संख्या	वेतन मेट्रिक्स में लेवल	अनिवार्य योग्यता एवं अनुभव, यदि कोई हो तो	विवरणित कार्य निष्पादन	**अधिकतम आयु सीमा (आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को)	*कुल मासिक परिलब्धियां (रुपये में)	वांछनीय
01	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	एक (01) [अनारक्षित]	06	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविध्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समकक्ष| अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविध्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समकक्ष| अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी परीक्षा के रूप में	पदस्थ को कार्यालयीन दस्तावेजों, पत्राचार, वैज्ञानिक साहित्य इत्यादि को अंग्रेजी में से हिंदी में और हिंदी में से अंग्रेजी में अनुवादित करना होगा एवं अन्य जो भी कार्य सौपा जाता है वो करना होगा|	30 वर्ष	₹ 47328/-	(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड के मैट्रिक या समतुल्य स्तर पर हिंदी से भिन्न संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का ज्ञान| (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान तथा विश्वविध्यालय से हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में

				उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री या समकक्ष| और हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा/प्रमाणपत्र या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के कार्यालयों सहित भारत सरकार के उपक्रम में हिंदी से अंग्रेजी में या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव|				डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

* कुल परिलब्धियों का अर्थ है कि ‘‘वाई’’ क्लास शहरों में मकान किराया भत्ता सहित वेतन मेट्रिक्स के अनुरूप लेवल की न्यूनतम राशि पर कुल परिलब्धियां।

** नियमानुसार छूट दी जाएगी।

Details regarding Essential Educational Qualifications, Experience and Job Description are as under:

Post Code	**Name of the post**	**Number of Posts with Reservation**	**Level in Pay Matrix**	**Essential Qualification and Experience, if any.**	**Detailed job Description**	**** Upper age Limit not exceeding (as on last date of receipt of applications)**	***Total monthly emoluments in ₹**	**Desirable**
01	Junior Hindi Translator	One (01) [Unreserved]	Level 6	Master’s degree of a recognized University or equivalent in Hindi or English with English or Hindi as a compulsory or	The incumbent will be required to translate official documents, correspondences; scientific literature etc. from English to Hindi and vice versa and any	30 Years	₹ 47328/-	(i) Knowledge at the level of Matriculation of a recognized

				elective subject or as a medium of examination at the degree level; **OR** Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi or English medium and English or Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; **OR** Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subjects of either or the two as the medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at degree level; **AND** Recognized Diploma or	other work that may be assigned.			Board or equivalent of one of the languages other than Hindi mentioned in the Eighth schedule of the Constitution. (ii) Degree or Diploma course in translation from Hindi to English and vice-versa from recognized Institute/University.

				Certificate course in translation from Hindi to English & vice versa or two years' experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State government offices, including Government of India undertaking.				

* Total emoluments mean approximate total emoluments on minimum of the corresponding level in the Pay Matrix including HRA in Class 'Y' Cities.
** Relaxable as per rules.

I. चयन प्रक्रिया

इस पद के लिए, चयन लिखित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा| इस लिखित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में दो प्रश्नपत्र (प्रश्नपत्र I व प्रश्नपत्र II) होंगे| जो उम्मीदवार चयन समिति द्वारा तय किए गए न्यूनतम सीमा अंक को प्राप्त करेंगे उनका ही दूसरा प्रश्नपत्र मूल्यांकित किया जाएगा|

प्रश्नपत्र I OMR अथवा कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के रूप में होगा|

प्रश्नपत्र II वर्णनात्मक होगा|

प्रश्नों का माध्यम	बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों में होंगे|
परीक्षा का स्तर	ग्रेजुएशन लेवल

कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:

प्रश्नपत्र I (आवंटित समय 1 घंटा)

विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	ऋणात्मक अंक
सामान्य बुद्धिमत्ता	50	150 (प्रत्यके सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक ऋणात्मक अंक
परिमाणात्मक कौशल	25	75 (प्रत्यके सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक ऋणात्मक अंक
सामान्य जागरूकता	25	75 (प्रत्यके सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक ऋणात्मक अंक

प्रश्नपत्र II (आवंटित समय 2 घंटे)

यह प्रश्नपत्र उम्मीदवारों के लेखन एवं अनुवाद कौशल का आकलन करने के लिए है जो कि इस पद के लिए आवश्यक है| इस प्रश्नपत्र में अंग्रेजी तथा हिंदी में अलग से पैराग्राफ लेखन, अंग्रेजी एवं हिंदी में सटीक लेखन तथा अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद सम्मिलित होंगे| टियर -2 परीक्षा में कुल 300 अंक होंगे और इस परीक्षा के लिए आवंटित समय 2 घंटे होगा।

I. Mode of selection:

For this post, the selection will be made on the basis of the written competitive examination. There will be two papers in the written competitive examination (Paper-I and Paper-II). The Second paper will be evaluated only for those candidates who secure the minimum threshold marks (to be determined by the Selection Committee) in the first paper.

Paper-I will be OMR Based or Computer Based Objective Type Multiple Choice Examination.

Paper-II will be descriptive.

Medium of Questions	The questions for Objective Type Multiple Choice Examination will be set both in English and Hindi
Standard of exam	Graduation Level

Syllabus or Written test for the post of Junior Hindi Translator shall be as follows:-

<u>Paper – I (Time allotted – 1 Hour)</u>

Subject	No. of questions	Maximum Marks	Negative Marks
General Intelligence	50	150 (Three marks for every correct answer)	One negative marks for every wrong answer
Quantitative Aptitude	25	75 (Three marks for every correct answer)	One negative marks for every wrong answer
General Awareness	25	75 (Three marks for every correct answer)	One negative marks for every wrong answer

<u>Paper-II (Time Allotted-2 hours)</u>

This paper is introduced to assess the writing and translation skills of the candidates which are necessary in this job. The paper would comprise writing of a paragraph in English and Hindi separately; precise writing in English and Hindi and translation from English to Hindi and Hindi to English. The total marks in the Tier-II exam would be 300 and time allotted for this exam would be 2 hours.

II हितलाभ:

1. इस पद में भावनगर में स्थित परिषद् के कर्मचारियों को लागू केन्द्र सरकार के दरों अनुसार वेतन एवं भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, महंगाई भत्ता इत्यादि शामिल हैं। अन्य लाभ जैसे कि अवकाश यात्रा रियायत एवं मेडिकल खर्चों की प्रतिपूर्ति भी उपलब्ध है| सीएसआईआर के नियमानुसार कर्मचारियों को रहने के लिए आवास भी उपलब्ध करवाएं जाते हैं|
2. ऐसे सभी कर्मचारी जो कि 01-01-2004 या उसके बाद पदग्रहण करते है, वे सीएसआईआर द्वारा लागू की गई केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती होने वाले सारे नये कर्मचारियों की ‘‘नई पेंशन योजना’’ के तहत शासित होंगे| हालांकि, अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारी जो वर्त्तमान में पुरानी पेंशन योजना से शासित है, यदि उनका चयन होता है तो वे मौजूदा पेंशन योजना यानी कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत शासित होते रहेंगे।

II. BENEFITS :

1. The positions carry Pay and Allowances, such as HRA, TA, DA etc. at Central Government rates as applicable to the employees of Council stationed at Bhavnagar. Other benefits, such as Leave Travel Concession and Reimbursement of medical expenses, are also available. The employees are provided with residential accommodation as per CSIR rules.
2. All new entrants will be governed by the "New Pension Scheme" on defined Contributions for new entrants recruited in Central Government Services on or after 01-01-2004, as adopted by CSIR for its employees. However, persons selected from other Government Departments / Autonomous Bodies / Public Sector Undertakings / Central Universities having Pension Scheme on GOI pattern and who are presently being governed by the Old Pension Scheme will continue to be governed by the existing Pension Scheme i.e. CCS (Pension) Rules, 1972.

III. आयु सीमा एवं रियायतें:

1. आयु सीमा/अनुभव/अर्हताओं के निर्धारण की तिथि आवेदनपत्रों के प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी कि 15-07-2019 होगी|
2. अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को 5 वर्ष की तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों को 3 वर्ष की छूट उन्ही मामलों में दी जाएगी जहां पर उनके द्वारा आवेदित किया जा रहा पद उसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है|
3. भारत सरकार के नियमानुसार, विधवा, तलाकशुदा एवं न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हुई महिलायें जिन्होंने बाद में पुनर्विवाह नहीं किया है को अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष तक (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 40 वर्ष तक) की छूट दी जाएगी| इस उप-पैरा के तहत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:
   - i. विधवाओं को उनके पति के देहांत के प्रमाणपत्र के साथ एफिडेविट देनी होगी कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है|
   - ii. तलाकशुदा एवं अपने पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं को उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की सत्यापित प्रति देनी होगी जिससे यह साबित हो सके कि उनका तलाक या न्यायिक रूप से अलगीकरण, जो भी लागू हो, हुआ है| तलाकशुदा महिलाओं को इसके साथ साथ उनके तलाक की एक एफिडेविट भी देनी होगी जिसमे यह उल्लिखित होना चाहिए कि उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है|
4. ऐसे व्यक्ति जो कि (अ) द्रष्टिहीनता अथवा कम द्रष्टि (ब) श्रवण असमर्थता एवं (स) लोको मोटर असमर्थता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 13 वर्ष) की छूट दी जाएगी बशर्ते कि आवेदक की निर्णायक दिनांक को आयु 56 वर्ष से अधिक ना हो| विकलांगो को अधिकतम आयु सीमा में छूट तब भी दी जाएगी जब उनके द्वारा आवेदित पद उनके लिए आरक्षित नहीं है बशर्ते वह पद विकलांगता के अनुरूप वर्ग के लिए उपयुक्त पाया गया हो| अधिकतम आयु सीमा में छूट उन्हीं उम्मीदवारों को दी जाएगी जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40 % है|
5. भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट भारत सरकार के समय समय पर संशोधित नियमानुसार दी जाएगी|
6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों/शारीरिक विकलांगो को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किए गए प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति लिखित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के समय प्रस्तुत करनी होगी| अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु मान्य प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है|

7. जो उम्मीदवार 1-1-1980 से 31-12-1989 के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के कश्मीर संभाग में नियत रूप से अधिवासित थे उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अनुरूप प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी|
8. परिषद्/सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है|

III. AGE LIMIT AND RELAXATIONS:

1. The date for determining the age limit/experience/qualifications shall be the closing date prescribed for receipt of applications i.e. **15-07-2019**.
2. Age relaxation of 5 years to the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 3 years to the members of Other Backward Classes in the upper age limit shall be allowed only in cases where the posts are reserved for that particular category.
3. As per GOI provisions, age relaxation for Widows, Divorced Women and Women Judicially separated from Husbands who are not remarried since, the upper age limit is relaxable up to the age of 35 years [up to 40 years for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes]. The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce following documentary evidence:

   i. In case of Widow, Death Certificate of her husband together with the Affidavit that she has not remarried since.
   ii. In case of divorced Women and Women judicially separated from their husbands, a certified copy of the judgment/decree of the appropriate Court to prove the fact of divorce or the judicial separation, as the case may be, with an Affidavit in respect of divorced Women and they have not remarried since.
4. Age relaxation of 10 years (15 years for SC/ST and 13 years for OBC candidates) in upper age limit shall be allowed to persons suffering from (a) blindness or low vision (b) hearing impairment and (c) loco motor disability or cerebral palsy subject to the condition that maximum age of the applicant on the crucial date shall not exceed 56 years. The age concession to the persons with disabilities shall be admissible irrespective of the fact whether the post is reserved for person with disabilities or not, provided the post is identified suitable for the relevant category of disability. Relaxation of age limit would be permissible to such persons who have a minimum 40% disability.
5. Age relaxation to the Ex-Servicemen will be applicable as per the Government of India instructions, as amended from time to time.
6. SC/ST/OBC/PwD candidates are required to produce a copy of the certificate in the prescribed format signed by the specified authority at the time of written competitive examination. The OBC candidates must produce the certificate valid for appointments under the Central government.
7. Relaxation of five years will also be permissible to those who had ordinarily been domiciled in the Kashmir division of the state of Jammu and Kashmir during the period from 1-1-1980 to 31-12-1989 subject to production of relevant certificate from concerned authority.
8. Relaxation in age limit up to 5 years may be allowed to Council/Government/Autonomous Bodies/Public Sector employees in accordance with the instructions and orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

IV. सामान्य शर्ते:

अ. केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन के पात्र है|

आ. यह नियुक्ति वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) जो कि एक स्वायत्त निकाय है की घटक संस्था सीएसआईआर - केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, गुजरात में होगी | हालांकि, नियुक्त व्यक्ति की तैनाती सीएसआईआर की भारत में स्थित किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान में जरुरत के अनुसार की जा सकती है|

इ. किसी भी विभाग/कार्यक्षेत्र में अनुभव की अवधि की गणना, जहां पर भी निर्धारित की गई है, इस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी|

ई. केवल आवश्यक शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव की पूर्ति उम्मीदवारों को लिखित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में आमंत्रित किए जाने का अधिकार नहीं देती है| अंतिम वरीयता सूची लिखित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी|

उ. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी कारणों से (जैसे कि गलत रूप से संबोधित लिफ़ाफ़े, किसी अन्य स्थान पर लिफाफों का वितरण, पोस्टल विलम्ब इत्यादि) प्राप्त हुए आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा| आवेदनपत्र प्राप्त होने के उपरांत प्राप्त हुआ कोई भी संलग्नक उस आवेदनपत्र के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा ।

ऊ. केवल बाहर से आने वाले लिखित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा के लिए आमंत्रित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को नियमानुसार यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो कि उनके सामान्य निवास अथवा जिस स्थान से वे यात्रा प्रारम्भ करते है, दोनों में से जो भी भावनगर से ज्यादा नजदीक है, से भावनगर तक एकल द्वितीय वर्ग के रेलवे भाड़े (मेल अथवा एक्सप्रेस द्वारा) से इस सम्बन्ध में यात्रा का सबूत पेश करने पर की जाएगी| जो स्थान रेल से नहीं जुड़े है उनके बीच सड़क यात्रा के लिए, नियमों के तहत स्वीकार्य दर के रूप में न्यूनतम दर पर दस्तावेजी प्रमाण (बस टिकट) के उत्पादन पर वास्तविक बस किराया या रोड माइलेज की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते प्रत्येक तरफ से सड़क द्वारा तय की गई दूरी 20 मील से अधिक हो।

ऋ. आवश्यक होने पर सीएसआईआर सीएसएमसीआरआई, इस पद को न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऊपर दर्शाए गए पदों की संख्या में तबदीली हो सकती है यानी कि चयन के समय पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है| इस विज्ञापन का यह अर्थ नहीं है कि विज्ञापित पद पर भर्ती आवश्यक रूप से की जाएगी| चयन प्रक्रिया के विविध चरणों में उस समय लागू भारत सरकार/सीएसआईआर के सम्बंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार चयन प्रक्रिया की जाएगी|

ऌ. चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित समयावधि के लिए परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रहेगा| परिवीक्षा की समयावधि सक्षम प्राधिकारी के विवेक अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है। परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति पर, उस समय लागू सम्बंधित नियमानुसार, चयनित उम्मीदवार के पुष्टिकरण पर विचार किया जाएगा|

ऍ. यह आवश्यक है कि आवेदकों द्वारा केवल सटीक, पूर्ण और सही जानकारी दी जाए।| गलत विवरण देना एक अपात्रता माना जाएगा एवं और सीएसआईआर-सीएसएमसीआरआई इस तरह की गलत / गलत जानकारी प्रस्तुत करने के किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।| सीएसआईआर - सीएसएमसीआरआई के निदेशक द्वारा पात्रता, आवेदन की

स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन प्रणाली तथा लिखित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा जैसे मामलों में लिए गए सारे निर्णय सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्य व अंतिम होंगे और किसी भी उम्मीदवार या उसकी ओर से अन्य व्यक्ति या एजेंसी द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा|

ऎ. सरकारी विभागों के कर्मचारियों के आवेदनपत्र यदि उचित माध्यम से अग्रेषित किए गए होंगे तभी उन पर विचार किया जाएगा| ऐसे कर्मचारियों के आवेदनपत्र पर उनके नियोक्ता द्वारा यह प्रमाणपत्र दिया जाना भी आवश्यक है कि यदि उनका चयन होता है तो उन्हें नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के एक महीने के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा| तदुपरांत, सतर्कता प्रमाणपत्र भी दिया जाना आवश्यक है| हालांकि, ऐसे उम्मीदवार आवेदनपत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अपने आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेज सकते हैं| उचित माध्यम से अग्रेषित किए गए आवेदनपत्र संस्थान को जल्द से जल्द मिल जाने चाहिए|

ए. किसी भी रूप में अनुयाचन और/अथवा किसी भी प्रकार के राजनीतिक या अन्य दबाव का लाना पद के लिए अपात्रता माना जाएगा|

ऐ. यदि कोई विश्वविद्यालय/संस्थान सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए इत्यादि ग्रेड्स देता है तो उस स्थिति में उम्मीदवारों को ऐसे ग्रेड्स को सम्बंधित विश्वविद्यालय//संस्थान के द्वारा नियत किए गए फोर्मुला के आधार पर प्रतिशत में रूपांतरित करना और उसे आवेदनपत्र में उचित स्थान पर दर्शाना आवश्यक है|

ऑ. जहाँ पर किसी भी शैक्षिक अर्हता को समकक्ष माने जाने का प्रावधान है, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता अनुसार उसके द्वारा प्राप्त की गई किसी उपाधि को समकक्ष उपाधि माने जाने का दावा करता है तो उसे इस सम्बन्ध में जारी आदेश/परिपत्र (क्रम एवं दिनांक के साथ) जिसके द्वारा ऐसी उपाधि को समकक्ष माना गया है, की एक प्रति अपने आवेदनपत्र के साथ संलग्न करनी होगी, अन्यथा आवेदनपत्र रद्द किया जा सकता है|

ऑ. एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदनपत्र किसी भी परिस्थितियों में वापस नहीं लेने दिया जाएगा एवं एक बार जमा किया गया शुल्क भी न ही वापस किया जाएगा और न ही उसे अन्य किसी विज्ञापन या चयन प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है|

ओ. यदि प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी विदेशी भाषा में है तो उसकी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा सत्यापित की गई लिखित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी चाहिए|

औ. अपूर्ण आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा|

अं. अंतरिम पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा|

अः. किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण को अंतिम व अधिप्रमाणित माना जाएगा|

IV. <u>GENERAL CONDITIONS:</u>

a. Only Indian nationals need apply.

b. The appointment will be in CSIR-Central Salt & Marine Chemicals Research Institute (CSIR-CSMCRI), Bhavnagar, Gujarat under **Council of Scientific & Industrial Research (CSIR)**, which is an Autonomous Body. However, the appointees are liable to be posted in any of the Lab/Institutes of CSIR situated anywhere in India as and when required.

c. The period of experience in a discipline/area of work, where prescribed, shall be counted with effect from the date of acquiring the prescribed minimum educational qualifications for the post.

d. Mere fulfilment of essential qualifications and experience does not vest any right in a candidate for being called for Written Competitive Examination. The final merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the written competitive examination.

e. Candidates should specifically note that the applications received after the closing date for any reason whatsoever (such as envelopes wrongly addressed, delivered elsewhere, postal delay etc.) will not be entertained. Any enclosure received separately subsequent to the receipt of the application cannot be connected therewith. No correspondence in this regard will be entertained.

f. Only outstation SC/ST candidates (within India) called for Written Competitive Examination will be reimbursed Travelling Allowance (TA) as admissible under rules i.e. a single Second Class Railway Fare (by Mail or Express) each way from their normal place of residence, or from the place of undertaking the journey, whichever is nearer to Bhavnagar on production of proof of journey. For road journeys between stations not connected by rail, the actual bus fare or road mileage at the lowest rate as admissible under rules, will be reimbursed on production of documentary proof (bus tickets), provided the distance covered by road is more than 20 miles each way.

g. CSIR-CSMCRI reserves the right not to fill up the post, if required. The number of vacancies indicated above may vary i.e. it may increase or decrease at the time of actual selection. This advertisement does not necessarily tantamount to the selections being actually made. The selection process is subject to the GoI/CSIR instructions prevalent at a given point of time during the various stages of the selection process.

h. The selected candidates will be on probation for a specified period from the date of taking over charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the Competent Authority. After successful completion of probationary period, they will be considered for confirmation in accordance with the extant rules.

i. It is necessary that only accurate, full and correct information is furnished by the applicants. Furnishing of wrong/false information will be a disqualification and CSIR-CSMCRI will **NOT** be responsible for any of the consequences of furnishing such wrong/false information. The decision of Director, CSIR-CSMCRI in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection, and conduct of examination will be final and binding on the candidates and no enquiry or correspondence will be entertained in this connection from any individual or person or agency on behalf of the candidate.

j. Applications from employees of Government Departments will be considered only if forwarded through proper channel, certified by the employer that the applicant, if selected will be relieved within one month of the receipt of the appointment orders. Also, vigilance clearance should also be recorded. However, advance copy of the application may be submitted before the closing date. Applications routed through proper channel should reach the above address at the earliest.

k. Canvassing in any form and/or bringing in any influence, political or otherwise, will be treated as a disqualification for the post.

l. In case of universities/institutes awarding CGPA/SGPA/OGPA grades etc., candidates must convert the same into percentage – based on the formula devised by the concerned University/Institute – at the appropriate place in the Application Form.

m. In respect of equivalent clause in Essential Qualifications, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per the requirement of advertisement, the candidate is required to produce order/letter in this regard, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated otherwise the application is liable to be rejected.

n. Application once made will not be allowed to be withdrawn and fees once paid will not be refunded on any account nor can it be held in reserve for any other recruitment or selection process.

o. If any document/ certificate furnished is in a foreign language, a transcript of the same duly attested by a Gazetted officer or notary is to be submitted.

p. Incomplete applications will be summarily rejected.
q. **INTERIM ENQUIRIES WILL NOT BE ATTENDED TO**.
r. In case of any dispute, English version will be treated as final and authentic.

V. आवेदन करने की प्रक्रिया:

अ. इच्छुक उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट: www.csmcri.res.in से निर्धारित आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदनपत्र संस्थान के भर्ती व मूल्यांकन प्रकोष्ठ से कार्यालय समयावधि में व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

आ. आवेदकों को उनके आवेदनपत्र निर्धारित प्रारूप (एनेक्सर I) में भेजने होंगे| पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को जोड़ना आवश्यक है:

i. डिग्री प्रमाण पत्र, मार्क-शीट, जन्म तिथि का प्रमाण, शंसापत्र और अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपियाँ।
ii. भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित उपयुक्त प्रारूप में जारी किए गए जाति के प्रमाणपत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के सन्दर्भ में) की सत्यापित प्रतिलिपि.
iii. निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किए गए मेडिकल प्रमाणपत्र (शारीरिक विकलांगों के लिए) की सत्यापित प्रतिलिपि.
iv. डिस्चार्ज बुक/प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रतिलिपि (भूतपूर्व सैनिकों के लिए).
v. निदेशक, सीएसएमसीआरआई, भावनगर के पक्ष में 3 माह की वैधता वाला भावनगर में देय 100/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक विकलांग/महिला एवं विभागीय कर्मचारियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस सन्दर्भ में निर्धारित प्रारूप में जारी किए गए प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि अपने आवेदनपत्र के साथ संलग्न करनी होगी)

इ. यदि कोई विश्वविद्यालय /संस्थान सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए इत्यादि ग्रेड्स देता है तो उस स्थिति में उम्मीदवारों को ऐसे ग्रेड्स को सम्बंधित विश्वविद्यालय /संस्थान के द्वारा नियत किए गए फोर्मुला के आधार पर प्रतिशत में रूपांतरित करना और उसे आवेदनपत्र में उचित स्थान पर दर्शाना आवश्यक है।

ई. यदि प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी विदेशी भाषा में है तो उसकी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा सत्यापित की गई लिखित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी चाहिए।

उ. सीलबंद लिफ़ाफ़े में ‘‘कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद के लिए आवेदनपत्र, विज्ञापन क्रमांक 4/2019’’ अभिलिखित आवेदनपत्र निम्नलिखित पते पर 15-07-2019 या उससे पहले पहुँच जाना चाहिए:

प्रशासनिक अधिकारी,
सीएसआईआर - केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसन्धान संस्थान,
गीजूभाई बधेका मार्ग,
भावनगर - 364 002 (गुजरात)

ऊ. सीएसआईआर, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के आवेदनपत्र यदि उचित माध्यम से अग्रेषित किए गए होंगे तभी उन पर विचार किया जाएगा| ऐसे कर्मचारियों के आवेदनपत्र पर उनके नियोक्ता द्वारा यह प्रमाणपत्र दिया जाना भी आवश्यक है कि यदि उनका चयन होता है तो उन्हें नियुक्ति आदेश की प्राप्ति के एक महीने के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा| हालांकि, ऐसे उम्मीदवार आवेदनपत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अपने आवेदनपत्र की अग्रिम प्रति आवेदन शुल्क एवं सारे प्रमाणपत्रों तथा शंसापत्रों के साथ भेज सकते हैं|

ऋ. अपूर्ण आवेदनपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा|

V. <u>HOW TO APPLY:</u>

a. The interested candidates may download the prescribed Application Form from the Institute website: www.csmcri.res.in. Application Form can also be collected in person from the Recruitment & Assessment Cell of the Institute during office hours.

b. Applicants should send their applications in the prescribed Application Form (Annexure - I). The following documents should be attached with application duly completed in all respects:

   i Attested copies of the Degree Certificates, Mark-sheets, Proof of date of birth, testimonials and Experience certificates

   ii Attested copy of the Caste certificate (in case of SC/ST/OBC) in the appropriate Pro Forma prescribed by the Government of India from time to time.

   iii Attested copy of the Medical certificate (in case of Persons with Disability candidates) from the prescribed authority in the prescribed format.

   iv Attested copy of the Discharge Book/Certificate (in case of Ex-Servicemen candidates).

   v Demand Draft of ₹ 100/- valid for 3 months drawn in favour of the Director, CSMCRI, Bhavnagar payable at Bhavnagar (No application fee is prescribed for SC, ST, Persons with disabilities, women & Departmental candidates. They should enclose a copy of certificate on the prescribed Pro Forma issued by the Competent Authority in support of their claim along with application).

c. In case of universities/institutes awarding CGPA/SGPA/OGPA grades etc., candidates must convert the same into percentage – based on the formula devised by the concerned University/Institute – at the appropriate place in the Application Form.

d. If any of the documents, certificates are in any foreign language, authentic transcripts, duly attested by a Gazetted Officer or a Notary Public, of the same may invariably be attached along with the application form.

e. Applications, in a sealed cover super-scribed **"Application for the post of Junior Hindi Translator, Advt. No. 04/2019”,** must reach the following address on or before **<u>15-07-2019</u>**:

The Administrative Officer
CSIR-Central Salt & Marine Chemicals Research Institute

Gijubhai Badheka Marg
Bhavnagar – 364 002 (Gujarat)

f. Applications from the candidates working in CSIR, Govt. Departments and Public Sector Undertakings will be considered only if forwarded through proper channel **with a clear certificate that the applicant will be relieved within one month of receipt of offer of appointment**, if selected. However, Advance copy (photo copy) of the Application Form together with application fee, all certificates & testimonials etc. can be submitted before the closing date.

g. Incomplete applications will be summarily rejected.

प्रशासनिक अधिकारी/**ADMINISTRATIVE OFFICER**